


462-८/2012

(3)

1



## 91 ब्यायालय मानवीय राजस्व माझल, ग्वालियर

22.2.12 को

प्रकरण क्रमांक

91/212  
क्रमांक

उत्तर भारत  
ग्वालियर

22  
22-2-12

2012 (दिवीजन) ४६२-८/2012

कपिल पुत्र श्री शांतिलाल कुमठ,  
निवासी- पिपलिया मंडी, तहसील  
मल्हारगढ़, जिला मंसौद म.प्र.)

.....निगरानीकर्ता

### बनाम

1. उत्तर भारत श्री शांतिलाल जी कुमठ, निवासी- पिपलिया मंडी, हाल मुकाम-42, गांधी नगर, बावूलाल मेहता का मकान, जिला नीमच म.प्र.
2. टिकल पुत्र श्री शांतिलाल जी कुमठ, निवासी- पिपलिया मंडी, हाल मुकाम- 27 शिक्षक कॉलोनी, नीमच म.प्र.
3. सूरज बाई वेवा हस्तीकली नीकुमठ, निवासी- पिपलिया मंडी, हाल मुकाम- 42, गांधी नगर, बावूलाल मेहता का मकान, जिला नीमच म.प्र.
4. श्वेता पुत्री श्री शांतिलाल जी कुमठ पत्नी श्री मनीष चूकार अंचलिया, निवासी - जवपुर, हाल मुकाम - डॉ. इनसी. अंचलिया, 276/तलबंडी, बोठा, राजस्थान
5. श्रीमाल अपट आयुक्त महोदय उज्जैन संभाग उज्जैन  
.....प्रतिनिगरानीकर्ता गण

निगरानी अंतर्गत धारा 50 म.प्र. भू-ज्ञानस्व संहिता 1959 दिनांक

आदेश दिनांक 03.12.2011 प्रकरण क्रमांक 94/10-11 गिरावंड

प्रतिनिगरानी श्रीमाल अपट आयुक्त उज्जैन संभाग उज्जैन (म.)

अनबत्ति आदेश पृष्ठ

प्रकरण क्रमांक निगरानी 462-एक / 2012

जिला मंदसौर

स्थान तथा दिनांक

कार्यवाही तथा आठड़ा

पक्षकारी एवं अभियावकों  
आदि के हस्ताक्षर

2-4-2014

आवेदक अधिवक्ता श्री अनिल गुप्ता उपस्थित है। उन्हें  
ग्राह्यता पर सुना।

2— आवेदक अधिवक्ता द्वारा ग्राह्यता पर प्रस्तुत तर्कों पर  
विचार किया गया तथा अधीनस्थ अपर आयुक्त, उज्जैन संभाग  
के न्यायालय के प्रकरण क्रमांक 94/2010-11 निगरानी में  
पारित आदेश दिनांक 3-12-2011 की सत्यप्रतिलिपि का  
अवलोकन किया गया जिसके विरुद्ध आवेदक द्वारा यह निगरानी  
इस न्यायालय के समक्ष प्रस्तुत की गई है।

3— अपर आयुक्त के आदेश के अवलोकन से स्पष्ट है कि  
अपर आयुक्त न्यायालय में प्रस्तुत निगरानी निरस्त हो चुकी है  
अतः दूसरी निगरानी सुनने का कोई औचित्य नहीं होने से  
प्रथमदृष्ट्या यह निगरानी औचित्यहीन होने से अग्राह्य की जाती  
है।

*प्रशासकीय सदस्य*